अन्तर्गत धारा 111,128 LR ACT 1956
ब०उ० दीप रस्तोगी बनाम सरकार
मुकदमा संख्या 39 दिनांक 25.07.2024
निर्णय दिनांक 06.03.2025
पृष्ठ संख्या -1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, खैरथल-तिजारा राज०

पीठासीन अधिकारी :-रेखा यादव आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39/24	25.07.2024	06.03.2025

अनुवान

1. दीप रस्तोगी पुत्र श्री आर०एस० रस्तोगी जाति महाजन साकिन डी ० एल० एफ०, कुतुब इन्क्लेव, गुरुग्राम हरि०।

-:प्रार्थी

बनाम

2.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा राज ०।

-:अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128
राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

सुबेसिंह यादव :-प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है :-

1. यह है की आराजी हाल खसरा नम्बर 2707/301 रकबा 1.2645 है ० वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा राज ० में स्थित है। जो कि इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी।

2. यह है कि विवादित आराजी मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्ज़ा काश्त की आराजी है जिस पर मिन प्रार्थी काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०

3. यह है कि विवादित आराजी की मौके पर पुख्ता डोल नहीं है मिसकार हो रही है जिस कारण मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी की श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम के पैमाईस आदेश दिनांक 30.06.2024 की पालना में पटवारी हल्का पटवारी कोटकासिम से शहांजानी जरीब से करवाई हुई है।

4. यह है कि विवादित आराजी की पैमाइश करने के बाद हल्का पटवारी से मिन प्रार्थी ने विवादित आराजी पर पत्थर गाड़े जाने का निवेदन किया तो उन्होने कहा कि हमारा काम श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम के आदेशानुसार पैमाईस करने का था जो हमने कर दिया है। यदि आपको विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी करानी है तो जरिये अदालत श्रीमान द्वारा आदेश होने पर ही पैमाईस किया जाना संभव होगा। अब आप श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम साहब के पास जाकर निवेदन करो उनसे आदेश लेकर आओ, जिस पर मिन प्रार्थी ने तहसीलदार साहब के पास विवादित आराजी पर मौका पर्चा के अनुसार पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया तो उन्होने कहा की न्यायालय से आदेश होने पश्चात ही पत्थरगढ़ी किया जाना संभव होगा। इसलिये मिन प्रार्थी तहसीलदार साहब के पैमाईस दिनांक 30.06.2024 के अनुसार अपनी विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी जरिये अदालत श्रीमान के समक्ष अविलम्ब ही पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माद्यम से अनुतोष चाहा गया है

अ. अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2707/301 रकबा 1.2645 है० वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा राज० की मौका पर्चा दिनांक 30.06.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

ब. अन्य दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान मुनासिब समझे प्रार्थी को अत परमे जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामील करवाई गई। विधिवत रूप से तामील होने के बाद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार है। विवादित आराजी की पैमाईस दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल–तिजारा) राज०

30.06.2024 को की गई स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नक़ल जमाबंदी सम्वत अंतिम चौसला आधार सम्वत 2075-2078, नक़ल पैमाईस रिपोर्ट की प्रति पेश की।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी का प्रति स्वयं खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी पर किसी प्रकार का मौके पर विवाद नहीं है। विवादित आराजी का राजस्व टीम द्वारा पूर्व में पैमाईस की जा चुकी है। इसलिए प्रति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी कि जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व बहस प्रार्थी अधिवक्ता के सघन मनन करने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है की विवादित आराजी प्रार्थी स्वयं खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

निर्णय

अत: उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में तहसीलदार कोटकासिम को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 2707/301 रकबा 1.2645 है० वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा राज ० की खातेदारी आराजी से लगती आराजी के सभी काश्तकारों को विधिवत रूप से पूर्वसूचित कर उनकी मौजूदगी में पुन: पैमाईस कर पत्थरगढ़ी करवाई जावे। अहकाम जारी हो।

आज दिनांक 06.03.2025 को आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी करने के बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेखा यादव)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम,खैरथल तिजारा राज०
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०